

घोषणा पत्र

(सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता Section 62 (नियम 61) एवं कन्यादान सहायता (धारा 22(1)(h))

मैं _____ सुपुत्र/पत्नी श्री _____

निवासी _____ बोर्ड पंजीकरण

संख्या _____ निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मेरी सुपुत्री _____ का विवाह दिनांक _____ है, जिसके लिए मैंने किसी भी सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था से शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता प्राप्त नहीं की है और न ही इसके लिए मैंने कोई आवेदन किया है।
2. मेरी सुपुत्री का विवाह प्रमाण पत्र, पंजीकरण संख्या _____ तिथि _____ को _____ (जारी करने को वाला अधिकारी) द्वारा जारी किया गया है।
3. मैं इससे पहले भी अपनी एक या दो () पुत्रीयों की शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता ले चुका/चुकी हूँ या अभी तक कोई भी सहायता प्राप्त नहीं की है ()
4. मेरी पत्नी/पति द्वारा भी किसी सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम संस्था से शादी के लिए वित्तीय एवं कन्यादान सहायता प्राप्त नहीं की है और न ही इसके लिए आवेदन किया है।
5. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ/हुई हूँ तथा बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटेड है।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त

तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई साईकिल सहायता की राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि:

मो० नं० _____